संख्या– 115/31–सू0प्रौ0स0/2003

प्रेषक,

आलोक कुमार,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
इरला चैक अनुभाग,
उत्तरांचल शासन।

सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग।

देहरादून: दिनांक: 11,सितम्बर, 2003

विषय:– सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रचलित टैक्नालॉजी विजन–2020 उत्तरांचल योजना (आई0टी0 एण्ड टेलीकॉम इन्फास्ट्रक्चर क्रियेशन) के लिए वित्तीय वर्ष 2003–04 में राज्य आकस्मिकता निधि से धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इम्पलीमेंटेशन आफ टैक्नालॉजी विजन–2002 मिशन प्रोजेक्ट फार आई0टी0 एण्ड टेलीकाम इन्फास्ट्रक्चर क्रियेशन इन उत्तरांचल के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार के आई0टी0 विभाग आई0एल0 एण्ड एफ0एस0 आईडीसी मुम्बई तथा टाइफैक के मध्य हुए त्रिस्तरीय समझौता दिनांक 04 जनवरी, 2003 के अन्तर्गत पैरा ।।। (डी) के अनुसार उक्त परियोजना के क्रियान्वयन हेतु कुल धनराशि रुपये 65.00 लाख (रु0 पैंसठ लाख मात्र) उपलब्ध कराया जाना है। सूचना प्रौद्योगिकी, पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (TIFAC) नई दिल्ली से प्राप्त रुपये 30.00 लाख की धनराशि दिनांक 25 जून, 2003 को शासकीय राजकोष में जमा की गई। उक्त परियोजना के क्रियान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2003–04 के आय–व्ययक में कोई प्राविधान न होने एवं उक्त व्यय आवश्यक व अपरिहार्य होने के कारण श्री राज्यपाल प्रथम किश्त के रुप में रुपये 30.00 लाख (रु0 तीस लाख मात्र)की धनराशि को राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रुप में आहरित कर व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त धनराशि की प्रतिपूर्ति आगामी प्रथम अनुपूरक मॉग द्वारा अविलम्ब कर ली जायेगी।

2– उक्त धनराशि राजकोष से आहरित कर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से अनुबन्ध की व्यवस्थानुसार मैसर्स आईएल एण्ड एफ एस (इन्फास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फानेंशियल सर्विसेज लिमिटेड) कोर–4 बी, 4 वॉ तल, इण्डिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली को उपलब्ध कराई जायेगी।

3– उक्त धनराशि का व्यय उक्तानुसार हुए त्रिस्तरीय समझौते में निर्धारित शर्तों के अनुसार परियोजना क्रियान्वयन हेतु किया जायेगा।

4– उक्त धनराशि का व्यय उन्हीं मदों के लिए किया जायेगा जिसके लिए अनुबन्ध की व्यवस्थानुसार यह स्वीकृत की गई है। उक्त धनराशि के व्यय के उपरान्त उसका व्यय विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र एक माह के अंदर उपलब्ध कराये जाने तथा परियोजना को संतोषजनक रुप से पूर्ण कराये जाने के पश्चात ही द्वितीय किश्त भारत सरकार द्वारा धनराशि प्राप्त होने पर ही निर्गत किये जाने पर विचार किया जायेगा।

5– उक्त कार्यो पर होने वाला व्यय प्रथमतः लेखाशीर्षक–8000–आकस्मिकता निधि–राज्य आकस्मिकता निधि लेखा–201–समेकित निधि के विनियोजन तथा अन्ततः अनुदान संख्या–23 के लेखाशीर्षक–4859–दूरसंचार तथा इलैक्ट्रानिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय–02–इलैक्ट्रानिक–800–अन्य व्यय–आयोजनागत–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–0104–उत्तरांचल प्रोजेक्ट योजना (आई0एल0 एण्ड एफ0एस0) (100 प्रतिशत केन्द्र पोषित)–42–अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
अपर सचिव।

संख्या– 1763 (1)/ वि0आ0–3/2003 दिनांक 15 दिसम्बर, 2003.

प्रतिलिपि प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उत्तरांचल, ओबराय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय,

(के0सी0 मिश्र)
अपर सचिव, वित्त।

संख्या–115(12)/31–सू0प्रौ0आ0/2003 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
2– वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन।
3– अध्यक्ष एवं सीईओ, इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, कोर–4 बी, 4 थां तल, इण्डिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार)
अपर सचिव।